न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO. - 2024/322
मिसल संख्या 91 / 2024

1. मन्नी बाई उर्फ मनभरी बाई पुत्री गणपत पत्नी किशनलाल
   निवासी जैन मंदिर के पास, बडगांव जिला कोटा राज0
2. रामभरोसी पुत्री गणपत पत्नी मोहनलाल
   निवासी जी 246, बाबरा पाडा चित्तौडा का मंदिर श्रीपुरा कोटा राज0
3. भूली बाई पुत्री श्री गणपत पत्नी दुर्गालाल
   निवासी मकान नम्बर.5, वर्धमान कॉलोनी नान्ता शम्भुपुरा कोटा राज0
4. ललिता पत्नी श्री श्यामा जी
   निवासी मकान नम्बर 254, लाल बुज, भैरू गुदरी पाटनपाल कोटा राज0
5. सुगना पत्नी श्री बंटी
   निवासी मकान नम्बर 252, गांधी जी की पुत्र पाटनपोल कोटा राजस्थान
6. ताराचंद पुत्र मांगीलाल निवासी गोपालपुरा कोटा राजस्थान

.....प्रार्थीगण

– बनाम–

1. चन्द्रभागा पत्नी देवलाल निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. कमला पुत्री गणपतलाल निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक – 13/5/26

उपस्थितिः–
1.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री विनीत अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

प्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 2 के पिता व प्रार्थी क्रम 4 लगायत 6 के नाना गणपत आत्मज रामबक्श जाति–माली निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा थे, जिनका देहावसान दिनांक–09.12.1997 को हो चुका है उनकी पत्नी श्रीमती डोली बाई का देहावसान भी दिनांक 24.05.2005 को चुका है। गणपत जी के प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पुत्रीयां प्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 2 एवं अप्रार्थी क्रम 4 लगायत 6 की माता लाली बाई है। लालीबाई का भी देहावसान हो चुका है जिनके वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थी क्रम 4 लगायत 6 है। पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 तथा प्रार्थी क्रम 4 लगायत 6 के पिता व नाना श्री गणपत आत्मज रामबक्श जी की अन्य सहखातेदारान भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ व भंवरलाल देवलाल पिसरान चतरा व मुसम्मात, केसर बेवा चतरा के साथ शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर–1016 की 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर–1017 की रकबा 0.07 हे०, खसरा नम्बर–1018 की रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर–1108 की रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर–1109 की रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर–1110 की रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर–1137 की रकबा 0.09 हे०, खसरा नम्बर–1139 की रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर–1141 की रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर–1139 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर–1141 की रकबा 0.24 हे० खसरा नम्बर–1392 की रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर– 1393 की रकबा 0.06 हे०, खसरा नम्बर–1395 की रकबा 0.10 हे०, खसरा नम्बर– 1396 की रकबा 0.10 हे०, खसरा नम्बर–1397 की रकबा 0.08 हे०, खसरा नम्बर–1399 की रकबा 0.06 हे० कुल खसरे 15 की रकबा 1.64 हे० वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित रही है जिसमें गणपत पुत्र रामबक्श जी का 1/3 हक हिस्सा निहित व दर्ज राजस्व रिकॉड रहा है।

गणपत जी के देहावसान के पश्चात् उनके हिस्से की उक्त 1/3 हिस्सा आराजी उनके प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पांचो पुत्रीयां श्रीमती लाली बाई एव प्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 मन्नी उर्फ मनभरी बाई, रामभरोसी, भूली बाई तथा अप्रार्थी क्रम 2 कमला बाई तथा उनकी बेवा श्रीमती डोली बाई को प्राप्त हुई है। डोली बाई का देहावसान दिनांक–24.05.2005 को हो चुका है और उनकी मृत्यु पश्चात उनकी हिस्सा आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 को प्राप्त हुई है किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 व उसके पति देवलाल ने आपस मे मिली भगत कर गणपत जी की हिस्सा आराजी को हडपने के दूराशय से राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों से मिली भगत कर गुपचुप रूप से गणपत जी के देहान्त के 13 वर्ष पश्चात् वर्ष 2009 में गणपत जी की एक मिथ्या व फर्जी वसीयत दिनांक–21.11.1997 तैयार कर उनकी उक्त 1/3 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

आराजी जरिये इंतकाल संख्या–620 दिनांक–15.12.2009 से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा ली।

वास्तव मे गणपत जी के अपने प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारीयों को वंचित कर अपने जीवनकाल में अपनी उक्त आराजी की वसीयत अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष मे किये जाने का प्रश्न ही नहीं है और यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम 1 व उसके पति देवीलाल ने आपस में मिली भगत कर प्रार्थीगण की उक्त आराजी को हडपने के दूराशय से मिथ्या, फर्जी वसीयत के आधार पर राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करवाई है।

गणपत जी का देहावसान वर्ष 1997 में को ही हो चुका था और स्वंय अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा वर्ष 2006 मे इंतकाल संख्या–452 दिनांक–29.04. 2006 से सहखातेदार भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ की 1/3 हिस्सा आराजी विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाई थी किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त वसीयत को कभी भी प्रकट नही किया गया ओर ना ही वर्ष 2006 मे उक्त भूमि का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा मिथ्या वसीयत तैयार की है।

कानूनन किसी तृतीय व्यक्तियों द्वारा बताई गई किसी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारीयों को उनके विधिक हक अधिकारो से वचित नही किया जा सकता और राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों का यह विधिक दायित्व था कि वह गणपत जी की 1/3 हिस्सा आराजी का इंतकाल उनके प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 के नाम दर्ज करते किन्तु गुपचुप रूप से उक्त भूमि गलत एवं गैरकानूनी रूप से अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दी। जो खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अपनी उक्त हिस्सा आराजी व उक्त तथाकथित वसीयत के संबंध मे अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में कभी कोई भी सहमति पत्र आलेखित नही किया। वर्ष 2009 के काफी अरसे पूर्व ही डोली बाई व गणपत जी की पुत्री लाली बाई की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थीगण व कमला बाई एवं लाली बाई के वारिस व उत्तराधिकारी अप्रार्थी क्रम 4 लगायत 6 द्वारा कभी भी राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि व अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में तथाकथित वसीयत के संबंध में अपनी कोई भी सहमति प्रकट नही की किन्तु फिर भी राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण को सूचना दिये बगैर अप्रार्थी क्रम 1 व उसके पति देवलाल से मिली भगत करते हुये पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों से मिली भगत कर गुपचुप रूप से प्रार्थीगण को जानकारी दिये बगैर प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 की उक्त 1/3 हिस्सा आराजी गलत व गैरकानूनी रूप से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा ली। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त शामलाती आराजी मे से सहखातेदार भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ की 1/3 हिस्सा आराजी पूर्व से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा ली थी। इसके पश्चात् प्रार्थीगण की 1/3 हिस्सा आराजी भी अपने नाम गलत व गैरकानूनी रूप से दर्ज करवा लेने के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ने वाद पत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित उक्त शामलाती आराजीयात मे से 2/3 हिस्से के रूप मे खसरा नम्बर–1108 की रकबा 0.15 हे०, खसरा नम्बर– 1109 की रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर– 1110 की रकबा 0.39 हे०, खसरा नम्बर– 1137 की रकबा 0.09 हे०, खसरा नम्बर– 1141 की रकबा 0.24 हे०, खसरा नम्बर– 1392 की रकबा 0.06 हे०, खसरा नम्बर– 1393 की रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर– 1395 की रकबा 0.10 हे०, कुल 8 की रकबा 1.10 हे0 हिस्सा आराजी अपने नाम पृथक खाते दर्ज करवा ली। उक्त 8 किता की 1.10 हे0 आराजी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 की 0.55 हे० आराजी यानि 1/2 हिस्सा आराजी निहित है।

प्रार्थीगण उक्त 8 किता की 1.10 हे० आराजी की 0.55 हे० आराजी पर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 गलत व गैरकानूनी रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 की उक्त हिस्सा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाये गये गलत व गैरकानूनी नाम का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने उक्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल करने व उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हो रही है। जिसके कारण प्रार्थीगण को सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने को बाध्य होना पड रहा है

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि दौराने वाद अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–8 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जेकाश्त मे दखल अंदाजी ना करें प्रार्थीगण को बेदखल ना करें और उक्त आराजी व उसके किसी भी भाग को बैचान व खुर्द बुर्द करें ना ही उक्त आराजी की किस्म को परिवर्तित करें ऐसा ना तो स्वंय करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावें।

अप्रार्थी क्रम 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिपक्षी क्रम 1 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है, जो पोषणीय नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

भवंरलाल पुत्र जगन्नाथ, भवंरलाल, देवलाल पिसरान चतरा व मुस० केसर पत्नी चतरा, गणपत आत्मज रामबख्स की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 132 रकबा 1.64 हे0 वाके ग्राम नान्ता तह लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी, जिसमे प्रतिपक्षी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा निहित था जो इन्तकाल नं0 620 दिनांक 15.12.09 से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी प्रतिपक्षी क्रम 1 को वसीयत दिनांक 21.11.97 से प्राप्त हुई है। प्रतिपक्षी क्रम 1 तब से ही आराजी पर खातेदार कृषक चली आ रही है। वसीयतकर्ता गणपतलाल की मृत्यु दिनांक 09.12.97 को हो गई है, उसकी पत्नि डोली बाई की मृत्यु दिनांक 24.05.2005 को हो चुकी है, वसीयत अनुसार प्रतिपक्षी क्रम 1 के हिस्से मे खसरा न0 1108 की 0.15 हे0, खसरा नं0 1109 की 0.01 हे0, खसरा नं० 1110 की 0.39 हे0, खसरा नं0 1137 की 0.09 हे0, खसरा नं0 1141 की 0.24 हे0, 1392 की 0.06 है0, खसरा नं0 1393 की 0.06 हे० तथा खसरा नं० 1395 की 0.010 हे0 आराजी खाते में दर्ज हुई है।

प्रतिपक्षी क्रम 1 के हिस्से में गणपत द्वारा उल्लेखित वसीयत अनुसार वसीयत के जरिये प्राप्त आराजी इन्तकाल नं० 620 से दर्ज है जिसका ज्ञान गणपत की सभी पुत्रियों को है, प्रार्थीगण 1, 2 3 व 4, 5, 6 की माता तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 ने दिनांक 17.08.98 को अपनी स्वेच्छा से ग्रार्थनाग्रस्त आराजी को प्रतिपक्षी क्रम 1 को गणपत द्वारा जरिये वसीयत देना स्वीकार कर अपनी लिखित सहमति पत्र दिया है, जो इस बात का प्रतीक है कि सभी प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 ने उक्त गणपत द्वारा की गई वसीयत को सही व स्वेच्छा से निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है। अब प्रार्थीगण 1, 2, 3, व 4, 5, 6 तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 उक्त वसीयत दिनांक 21.11.97 म वर्णित तथ्यो के विरूद्ध आचरण करने से कथन करने से एस्टोप्ड है।

विवादित आराजी में प्रतिपक्षी क्रम 1 के वसीयत अनुसार आई आराजी पर गणपत के निधन के उपरान्त से प्रतिपक्षी क्रम 1 बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त है। अतः प्रार्थीगण का जब आराजी पर कब्जा नही है तो वे किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है। अतः प्राचीगण का यह प्रार्थना धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम मेन्टेनेबल न होने से निरस्तनीय है।

जब तक धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा पत्र प्रार्थीगण प्राप्त नहीं करते तब तक उनका यह प्रार्थना पोषणीय नहीं है।

जब तक प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 गणपत की उक्त वसीयत के सम्बन्ध में दी गई सहमति को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते, तब तक उनके द्वारा आलेखित सहमति पत्र दिनांक 17.08.98 के विरूद्ध कोर्य भी कथन करने से वे एस्टोड है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 ने उक्त सहमति पत्र के अलावा माली समाज विकास समिति नान्ता के यहां भी रूबरू गवाहान और समिति के सदस्यो के समक्ष गणपत की वसीयत व सहमति पत्र को लिखित में अलोखित कर अपने हस्ताक्षर किये है, व स्वीकार किया है। सहमति पत्र पर भी प्रतिपक्षी क्रम 2 व प्रार्थीगण ने रूबरू गवाहान अपने हस्ताक्षर किय है। माली समाज विकास समिति नान्ता को प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 ने दिनांक 11.12.2005 को एक तहरीर अपनी सहमति बाबत रूबरू गवाहान लिख कर दी है। इसी प्रकार दिनांक 15.11.93 को वसीयतकर्ता गणपत व उसकी पत्नि डोली बाई ने एक सहमति पत्र प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 की उपस्थिति में रूबरू गवाहान आलेखित की है, जिस पर गणपत व उसकी पत्नि डोली बाई प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 व मोतबिर गवाहान के हस्ताक्षर है। अब प्रार्थीण इसके विरूद्ध कथन व आचरण करने से एस्टोप्ड है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना असत्य व मिथ्या कथनो पर आधारित होने से निरस्तनीय है।

यह प्रार्थना गलत तथ्यों पर आधारित होने से पक्षकारो के मध्य कोई प्रार्थना कारण उत्पन्न नही हुआ, क्योंकि दिनांक 06.05.24 को प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी गई है, क्योंकि प्रतिपक्षी क्रम 1 वसीयत के प्रभावी होते ही आराजी पर मालिक काबिज खातेदार कृषक है, इसलिए यह प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो निम्नानुसार हैः–

भवंरलाल पुत्र जगन्नाथ, भवंरलाल, देवलाल पिसरान चतरा व मुस० केसर पत्नी चतरा, गणपत आत्मज रामबख्स की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 132 रकबा 1.64 हे0 वाके ग्राम नान्ता तह लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी, जिसमे प्रतिपक्षी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा निहित था जो इन्तकाल नं0 620 दिनांक 15.12.09 से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी प्रतिपक्षी क्रम 1 को वसीयत दिनांक 21.11.97 से प्राप्त हुई है। प्रतिपक्षी क्रम 1 तब से ही आराजी पर खातेदार कृषक चली आ रही है। वसीयतकर्ता गणपतलाल की मृत्यु दिनांक 09.12.97 को हो गई है, उसकी पत्नि डोली बाई की मृत्यु दिनांक 24.05.2005 को हो चुकी है, वसीयत अनुसार प्रतिपक्षी क्रम 1 के हिस्से मे खसरा न0 1108 की 0.15 हे0, खसरा नं0 1109 की 0.01 हे0, खसरा नं० 1110 की 0.39 हे0, खसरा नं0 1137 की 0.09 हे0, खसरा नं0 1141 की 0.24 हे0, 1392 की 0.06 है0, खसरा नं0 1393 की 0.06 हे० तथा खसरा नं० 1395 की 0.010 हे0 आराजी खाते में दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी क्रम 1, 2, 3 स्व0 गणपत की पुत्रियां है, प्रार्थी क्रम 4, 5, 6 की लालीबाई माता है जो गणपत की पुत्री है, प्रार्थी क्रम 4, 5, 6 गणपत की दोहतियां है। प्रतिपक्षी क्रम 2 गणपत की पुत्री है। लाली बाई का निधन हो चुका है।

विवादित आराजी में प्रतिपक्षी क्रम 1 के वसीयत अनुसार आई आराजी पर गणपत के निधन के उपरान्त से प्रतिपक्षी क्रम 1 बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त है।

जब तक प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 2 गणपत की उक्त वसीयत के सम्बन्ध में दी गई सहमति को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते, तब तक उनके द्वारा आलेखित सहमति पत्र दिनांक 17.08.98 के विरूद्ध कोर्य भी कथन करने से वे एस्टोड है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न आदेशों मे स्पष्ट किया गया है कि जमाबंदी मे नाम आने से कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। जमाबंदी मे नाम दर्ज होने की स्थिति मे जमाबंदी मे नाम किसी आधार पर आया यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है।

प्रतिवादी का नाम वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है जो पूर्णतया संदेहास्पद है। वसियत दिनांक 21.11.1997 की है। तथा वसीयत मे खाता संख्या 132 अंकित है जबकि 1997 मे खाता संख्या 132 अस्तित्व मे ही नही था। संवत 2055–2058 मे खाता संख्या 146 था तथा संवत 2059 की जमाबंदी मे जो कि सन् 2002 होता है मे प्रथम बार खाता संख्या 132 बना। उक्त तथ्य प्रामणित करता है कि वसीयत पूर्णतया फर्जी है। जिससे प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। वसीयत सन् 1997 की है जबकि खाता संख्या 132 छः साल बाद सन् 2002 मे बना जिससे प्रमाणित है कि वसीयत फर्जी तरीके से 6 साल बाद बनाई गयी है। अतः उक्त वसीयत के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण से प्रथम श्रेणी वारिसान का हक समाप्त नही होते है।

सन् 1993 मे सहमती पत्र बनाया गया तथा उसके बाद वसीयत बनाई गयी। जो कि दोनों ही बनावटी है। सहमती पत्र सही है या नही तथा इसका क्या प्रभाव होगा यह प्रकरण मेम आगे तय होना है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि संलग्न सहमति पत्र अपने तथ्यों के आधार पर स्वयं फर्जी प्रमाणित होता है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत माली समाज विकास समिति का सहमति पत्र भी पूर्णतया गलत तथ्यो के आधार पर सम्पादित किया गया है। उक्त सहमति पत्र मे वसीयतनामे की तिथि दिनांक 17.08.1997 अंकित है जबकि वसीयत की तिथि 21.11.1997 है। दस्तावेजों मे इस प्रकार की द्वैधता प्रमाणित करती है कि सम्पूर्ण दस्तावेज कूटरचित तरीके से तैयार किये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि चूकि वसीयत संदेहास्पद है जिसे किसी सिविल न्यायालय से प्रमाणित नही करवाया गया है। अतः वाद के लम्बित रहते भूमि खुर्द बुर्द ना हो इस हेतु निश्चित आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

Rajasthan Revenue board

Revision No. 5595/2015 Date 27-06-2016

Paramjeet kaur and ors. vs shiv associates, Borkheda kota through partner Dhannalal yogi and ors.

Civil Procedure Code, 1908 Section 96 Rajasthan Tenancy Act, 1955, Section 212 - Temporary injunction - Grant of Will Proof of Question as to whether Revenue Appellate Authority allowed the appeal and set aside order of granting temporary injunction Petitioners are having right under Section 96 to file this revision - Land in question is self-acquired property of 'AS' -Registered Will in favour of grand-son respondent No. 2 - Respondent No. 3 is the son of 'AS' - Respondent No. 3 claimed ½ share in the land - Will prima facie found to be forged by FSL and dispute is pending in Civil and Criminal Courts - Petitioners are having a locus standi to file the revision - Prima facie case, balance of convenience and irreparable loss are in favour of respondent No. 3 Directions issued to both parties to maintain the status quo of the property and record Revision allowed.

Rajasthan High Court

SB Civil Writ petition No. 946/2022 date 16-02-2022

Smt. Rajo vs Bhupendra and ors.

Rajasthan Tenancy Act, 1955 Section 212 Temporary injunction - Order passed against a deceased defendant - Revenue Appellate Authority partly allowed appeal and modified interim injunction Board of Revenue restored the original interim injunction order - Held, petitioner and respondents are co-tenants and relatives, deciding the case on merits at this stage may influence the pending partition suit - Status quo to be maintained in relation to title and possession of disputed land until disposal of suit - Trial Court directed to decide the suit within six months.

RAJASTHAN HIGH COURT

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

SB Civil Writ petition No. 1034, 1035/2001 date 21-01-2023

Jethu Singh - Petitioner Versus Bhanwar Singh And Ors. -

Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Section 64 Fiscal entries like, mutation in revenue records Do not represent or create any title or interest in property - Nor complicated issue of succession either by way of Will or adoption can be settled in Mutation Proceedings - Parties have to approach appropriate Forum for adjudication of title or right This impugned orders do not require any interference in writ jurisdiction.

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि पांचो बहनों द्वारा 15.011.1991 को सहमती पत्र आलेखित कियागया इसके उपरांत दिनांक 17.08.1998 को पुनः स्टाम्प पर सहमती पत्र आलेखित किया गया। दिनांक 11.12.2005 को समाज के समक्ष पुनः सम्पूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया गया। खातेदार गणपत द्वारा प्रतिवादी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित की गई। जिसके आधार पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया गया। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। वादीगण भूमि पर काबिज नही है। अतः वादीगण को निषेधाज्ञा प्राप्त नही हो सकती है। निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू वादीगण के विरूद्ध है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

2017(3) Civil Couart Cases 052 (Hyderabad)

(ii) Civil Procedure Code, 1908, O.39. R.r. 1, 2, s. 151 Interim injuction- Cannot be granted Without discussing the essential elements of proma facie case, balance of convenience and irreparable injury.

2018(1) WLC (Raj.) UC 26 Rajasthan High Court jaipur

Civil Procedure Code O.39. R.r. 1, 2, Temporary injuction Defendants owners of land and in Possession thereof No Proma faciecase in plaintiff's favour injuction reghtly refused by trail Court No reason for appellate court to order status quo in such circumstances.

CIVIL COURT CASES 436 (JHARKHAND)

Misc. Appeal No.193 of 2016, D/11.09.2018.

(i) Civil Procedure Code, 1908, 0.39.Rr.1, 2- Temporary Injunction - Restraining defendants from raising construction over suit land - Both parties claiming title and it is a triable issue and there is prima facie case - Possession is of defendant as they are making construction over suit land -Balance of convenience lies in favour of defendant As defendants are in

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

possession as such there is no question of irreparable loss and injury to plaintiff - Plaintiff not entitled to injunction. (Paras 8, 13 to 17)

(ii) Civil Procedure Code, 1908, 0.39.Rr.1, 2 Temporary Injunction - Possession of suit land is main consideration while considering petition U.O.39.Rr.1, 2 CPC.

2021(1) civil court cases 453 HP

CMPMO No 485/2019 D- 29-09-2020

(iii) Civil Procedure Code, 1908, 0.39.Rr.1,2 -Temporary injunction Injunction order sought by concealing material facts - Application rightly rejected.

2018(3) civil court cases 358 (Allahabad)

matters under Article 227 No. 2633/2018 d- 15-05-2018

Civil Procedure Code, 1908, 0.39.Rr.1,2 Ad interim injuction - No injuction can be granted against true owner.

2021(3) CIVIL COURT CASES 397 (M.P.)

M.P.No.643 of 2021, D/22.03.2021.

(ii) Civil Procedure Code, 1908, 0.39.Rr.1, 2- Temporary injunction Plaintiff unable to show that he is owner of suit land and is in possession thereof Three ingredients for grant of injunction i.e prima facie case, balance of convenience in favour of plaintiff and that plaintiff would suffer irreparable injury if temporary injunction is declined, are not satisfied - Application rightly rejected.

Citation- 2019(1) CJ (civ.) (SC) 279 Supreme Court
Appeal No. 7843/2009 D- 10-12-2018

Ownership - Burden of proving burden to prove the ownership over the property is on the plaintiff.

1997 DNJ (SC) 6 Supreme Court

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Injunction_ Cannot be granted against lawful owner of the property.

2014 WLC (Raj.) UC 63 Raj High Court

SB Civil Writ petition No. 267/2013 date 03-09-2013

Civil Procedure Code, O. 39 Rr. 1, 2 O. 43, 1(r) Temporary injuction Conduct of plaintiff _plaintiff not coming with clean hands injuction held rightly refused

[Citation: 2013(2) DN.J (Raj.) 758]RAJASTHAN HIGH COURT
[S.B. Civil Misc. Appeal No. 4073 of 2012; D- 11.2.2013]

Civil Procedure Code, 1908-0. 39, Rr. 1, 2-Temporary injunction-Application dismissed-Contention that they are in possession of the property and they are the owners of the property-Not a single document produced to prove possession-Patta of the land with the respondent-Held, No infirmity or illegality in order of rejecting application.

(Citation 2019 (1) CJ(Civ.) (SC) 125] (SUPREME COURT)

Civil Appeal No. 1509 of 2019; decided on 6th Feb., 2019

Permanent Injunction-Scope for granting-In a suit filed u/s. 38 of Specific Relief Act, permanent injunction can be granted only to a person who is in actual possession of the property-The burden of proof lies upon the plain-tiff to prove that he was in actual and physical possession of the property the date of suit.

[Citation: 2011(3) DNJ (Raj.) 1188

RAJASTHAN HIGH COURT
[S.B. Civil Second Appeal No. 15 of 1984; D-21.7.2011]

Property Law-Suit for permanent injunction-Plot in question was allotted to plaintiff by UIT-Neither the site plan issued to plaintiff nor he was put in possession of plot by UIT-Possession of disputed land was with defendant even before filing of suit and it was only when plaintiff wanted to encroach upon his land, the defendant constructed boundary wall, which

उपखण्ड अधिकारी

the plaintiff unsuccessfully resisted-Held, Plaintiff respondent could not claim relief of permanent injunction in absence of possession particularly when he did not pray for recovery of possession.
Imp- Relief of permanent injuction cannot be claimed in absence of the possession

2024(1) CIVIL COURT CASES 741 (P&H)

R.SA.No.1394 of 2020, D/14.09.2023.

(i) Clean hand - Plaintiff has not come to Court with clean hands - Plaintiff is not entitle to injuction
(ii) Practicde & Procedure - Plaintiff is required to stand on his own legs.

[Citation: 2019(2) DNJ (Raj.) 7251

-Petitioners failed to establish that they were in actual possession of the plots in question-Notification dt. 9.5.1993 was no more in existence after coming into force of the new Act of 2009-Clear title of the property in favour of the respondent No. 2 and a true owner cannot be restrained by temporary injunction-Prima facie no case is made out in favour of the petitioners-Held, Petition is without merits and dismissed.
Imp- A true owner cannot be restrained by temporary injunction.

WLC (Raj.) UC 4 Raj High Court

SB Civil Writ petition No. 140/98 date 20-07-1999
Civil Procedure Code, O. 39 Rr. 1, 2 Temporary injuction
Injunction rightly refused when plaintiff was not even in possession of land

बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के कथनों पर मनन किया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है।
1.क्या प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2.क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ?
3.प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपखण्ड अधिकारी

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर होता है। वह शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि पत्रावली मे संलग्न ग्राम नान्ता की जमाबंदी संवत 2055–58 मे हस्तगत खाता नं0 146 अंकित है तथा जमबांदी संवत् 2059–62 मे खाता संख्या 132 अंकित है। इससे प्रमाणित होता है कि नवीन खाता संख्या 132 संवत् 2059 मे बना। जबकि संलग्न वसीयत दिनांक 21.11.1997 मे खाता संख्या 132 अंकित है। दिनांक 21.11.1997 को यदि विक्रम संवत मे देखा जाये तो यह संवत् 2054 होगा और इसी प्रकार यदि संवत् 2059 को सन् मे देखा जाये तो यह सन् 2002 होगा। उक्त तथ्य यह संदेह उत्पन्न करते है कि जब नवीन खाता संख्या 132 राजस्व रिकोर्ड मे सन् 2002 मे अस्तित्व मे आया तो दिनांक 21.11.1997 को निष्पादित वसीयत मे खाता संख्या 132 कैसे दर्ज हुआ। जबकि राजस्व रिकोर्ड यह प्रमाणित करता है कि सन् 1997 मे हस्तगत प्रकरण मे वर्णित आराजी की खाता संख्या 146 थी। उक्त तथ्य वसीयत के निष्पादन प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करता है। जिसकी जांच तथा प्रमाणिकरण किया जाना आवश्यक है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संलग्न न्यायिक निर्णय मे यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकोर्ड मे प्रविष्टीयां भूमि के टाईटल के संबंध मे कोई अधिकार उत्पन्न नही करती। तथा उत्तराधिकार के संबंध मे विवादास्पद मामलों का निस्तारण नामान्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से नही किया जा सकता है।

उक्त परिस्थितियों मे जबकि वसीयत के निष्पादन के संबंध मे द्वैधता रिकोर्ड पर प्रमाणित है। यह न्यायालय वाद के निस्तारण तक हस्तगत आराजी को खुर्दबुर्द होने से रोकना न्यायोचित पाता है।

इस प्रकार अधिकारों की घोषणा नहीं होने तक विवादित आराजी को खुर्द बुर्द हो जाने का भय सदा व्याप्त रहेगा। उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है इसलिये यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है।

यदि दौराने वाद उपरोक्त आराजी का अंतरण या बेचान या खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। जिस कारण से हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार ताफैसला वाद अप्रार्थी क्रम 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि दौराने वाद अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित खसरा नम्बर–1108 की रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर–1109 की रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर–1110 की रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर–1137 की रकबा 0.09 हे०, खसरा नम्बर–1141 की रकबा 0.24 हैक्टर की मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 13/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा